न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 173/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 कुम्भाराम 2 बांकाराम 3 गणपत पिसरान देवराज जाति जाट निवासी मूढों का तला (सनावड़ा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 देवराज पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी मूढों की ढाणी, (सनावड़ा) तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।
2. श्री पंकज चौधरी, वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 30/01/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 भीयाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा मूढों का तला (सनावड़ा) पटवार क्षैत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1055 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 1179/1056 रकबा 29.07 बीघा कुल रकबा 29.12 बीघा भूमि तथा मौजा पूनियों का तला (बूठ जेतमाल) पटवार क्षेत्र बूठ जेतमाल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 180 रकबा 10.00 बीघा खसरा संख्या 399 रकबा 21.09 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि भींयाराम के फौतगी पर देवराज के हिस्से में आई, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 देवराज के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी देवराज की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी देवराज के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/4–1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 02 बंकाराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का

Scanned with CamScanner

जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी देवराज के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2071 से 2074 एवं व नामान्तकरण संख्या 26 स्वीकृत दिनांक 20.03.1997 तथा 307 स्वीकृत दिनांक 15.04.1989 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा मूढों का तला (सनावडा) पटवार क्षेत्र सनावडा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1055 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 1179/1056 रकबा 29.07 बीघा कुल रकबा 29.12 बीघा भूमि तथा मौजा पूनियों का तला (बूठ जेतमाल) पटवार क्षेत्र बूठ जेतमाल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 180 रकबा 10.00 बीघा खसरा संख्या 399 रकबा 21.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी देवराज के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी देवराज प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बाड़मेर *

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30/01/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर
(SDO) बाड़मेर

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 कुम्भाराम 2 वांकाराम 3 गणपत पिसरान देवराज जाति जाट निवासी मूढ़ों का तला (सनावड़ा) तहसील व जिला बाडमेर।		1 देवराज पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी मूढ़ों की ढाणी, (सनावड़ा) तहसील व जिला बाडमेर

दावा बावत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 173/2019
निर्णय दिनांक :– 30/01/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30/01/20 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा मूढों का तला (सनावड़ा) पटवार क्षेत्र सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1055 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 1179/1056 रकबा 29.07 बीघा कुल रकबा 29.12 बीघा भूमि तथा मौजा पूनियों का तला (बूठ जेतमाल) पटवार क्षेत्र बूठ जेतमाल तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 180 रकबा 10.00 बीघा खसरा संख्या 399 रकबा 21.09 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी देवराज के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी देवराज प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 30/01/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.03.02 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: